

संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता

Ram Kumar Gurjar

NET Qualified, Scholar (Political Science) IGNOU, New Delhi, India

सार

संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) की स्थापना 75 वर्ष पहले की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था। यह देशों की विघटन प्रक्रिया तथा एक और विश्व युद्ध को रोकने में सफल रहा है। हालाँकि 21वीं सदी का विश्व उस 20वीं सदी से बहुत अलग है और कई नई समस्याओं और वास्तविकताओं का सामना कर रहा है। वर्तमान मानवीय और आर्थिक नुकसान COVID-19 महामारी से जुड़े हुए हैं जिसकी तुलना प्रमुख युद्धों से की जाती है और यह बेरोज़गारी 1929 की महामंदी (Great Depression 1929) के बाद से किसी भी समय से बदतर है। इसने बहुपक्षीय संयुक्त राष्ट्र प्रणाली से संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा इस स्थिति में ट्रांस-नेशनल (उदाहरण के लिये- आतंकवाद, सामूहिक विनाश, महामारी, जलवायु संकट, साइबर सुरक्षा और गरीबी के हथियारों के प्रसार) चुनौतियों की संख्या में वृद्धि की एक सामान्य प्रवृत्ति रही है। संयुक्त राष्ट्र को बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था का प्रतीक होने के कारण वैश्विक मुद्दों से निपटने की अधिक आवश्यकता है। इसलिये संयुक्त राष्ट्र में सुधार एक बहुपक्षीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिये आवश्यक हैं। नए शीत युद्ध का उदयः एक ओर अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष और दूसरी ओर चीन तथा रूस के बीच पश्चिम-पूर्व संघर्ष एक नई वास्तविकता बन गई है। विभाजित पश्चिमः युद्ध के बाद के गठजोड़ों के बावजूद कई वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका और उसके यूरोपीय भागीदारों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। ईरान पर माणु समझौते पर अमेरिका और अन्य शक्तियों के बीच कुछ अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके अलावा युद्ध के बाद के बहुपक्षवाद और शीत युद्ध के बाद के विश्ववाद की अस्वीकृति ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" विदेश नीति के केंद्र में है।

संयुक्त राष्ट्र की अप्रभाविता: संयुक्त राष्ट्र को रोनोवायरस के वैश्विक संकट पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने संकट की उत्पत्ति और स्रोतों पर एक गंभीर चर्चा को अवरुद्ध कर दिया। जबकि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन का समर्थन करने के आरोपों को लगाते हुए इससे बाहर हो गया। UNSC की कमीः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ संयुक्त राष्ट्र की मुख्य कार्यकारी संस्था है। हालाँकि UNSC के पाँच स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो शक्तियों का उपयोग सशस्त्र संघर्ष के पीड़ितों के लिये विनाशकारी परिणामों की परवाह किये बिना उनके भू-राजनीतिक हितों को किनारे करने हेतु एक उपकरण के रूप में किया जाता है। जैसा कि सीरिया, इराक आदि में देखा जा सकता है। इसके अलावा यह आज की सैन्य और आर्थिक शक्ति के वितरण को प्रतिबिंबित नहीं करता है और न ही एक भौगोलिक संतुलन को। इस प्रकार 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की संरचना अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि होनी चाहिये। भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान ने मिलकर जी-4 नामक समूह बनाया है। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिये एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।

परिचय

महासभा सुधारः संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly- UNGA) केवल गैर-बाध्यकारी सिफारिशों कर सकती है, जो संयुक्त राष्ट्र के अप्रभाव का एक और कारण तथा संयुक्त राष्ट्र सुधार का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र निकायों की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने आलोचना की है, क्योंकि यह IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के प्रभाव की तुलना में कम प्रभावी हो गया है, जिनमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। संयुक्त राष्ट्र का वित्तीय संकटः यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के पास करने के लिये बहुत कुछ है लेकिन इसके पास बहुत कम पैसा है, क्योंकि यह कई सदस्यों की अनिच्छा के कारण समय पर उनके योगदान का भुगतान करने के लिये एक स्थायी वित्तीय संकट में

How to cite this paper: Ram Kumar Gurjar "The Need for Reform of the United Nations" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-4, June 2022, pp.1749-1755, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd50376.pdf



IJTSRD50376

Copyright © 2022 by author(s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



है। जब तक संयुक्त राष्ट्र के बजट में कमी बनी हुई है, तब तक यह प्रभावी नहीं हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में संरचनात्मक कमीः हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र और मानव अधिकारों को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों की बड़ी संख्या बहुत प्रभावी साबित हुई है, बल के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले कानून कम हुए हैं। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिये संरचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता है। UNSC के अव्यवस्थित होने के बावजूद भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश के लिये विघटन और निरस्तीकरण से स्वयं का एक बहुपक्षीय एजेंडा विकसित किया है और इसके लिये काफी राजनीतिक समर्थन जुटाया है।

यह वर्तमान में वैश्विक आकृति को आकार देने की संभावनाओं को रेखांकित करता है।[1,2]

UNSC में सुधार: जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव ने उल्लेख किया है कि "सुरक्षा परिषद के सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सुधार पूरा नहीं होगा"। इसलिये UNSC के विस्तार के साथ ही न्यायसंगत प्रतिनिधित्व भी वांछित सुधार की परिकल्पना करता है। हालाँकि, यह संयुक्त राष्ट्र सुधारों का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू होगा क्योंकि आमतौर पर पांच स्थायी सदस्यों द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को रोकने के लिये अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए विरोध किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिये अन्य बहुपक्षीय मंचों के साथ जुड़ाव: संयुक्त राष्ट्र के वित्त में सुधार के संभावित समाधान में एक 'आरक्षित निधि' या यहाँ तक कि एक 'विश्व कर' की स्थापना कर सकते हैं। राष्ट्रीय हित और बहुपक्षवाद को संतुलित करना: खासकर ऐसे समय में जब चीन ने सीमा पर आक्रामक मुद्रा अपनाई है, भारत के वर्तमान बहुपक्षवाद का मुख्य उद्देश्य अपनी क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना होना चाहिये। यहाँ भारत, भारत के हितों की सेवा के लिये बहुपक्षवाद का लाभ उठा सकता है। जैसे कि कांड देशों के साथ गठबंधन करना या भारत में सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिये पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिये FATF जैसे तंत्र के साथ काम करना। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement- NAM) में अपनी भूमिका को पुनः स्वीकार करते हुए भारत को अन्य बहुपक्षीय संस्थानों के साथ जुड़ना चाहिये क्योंकि यदि संयुक्त राष्ट्र के बाहर नियम बनाने का काम होता है तो नए नियम बनाना भारत के लिये नुकसानदेह नहीं है। इतिहास बताता है कि महामारी संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठने के लिए उत्प्रेरित करती है। इसे वर्ष 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया में ब्रेटन वुड्स में सम्मेलनों और वर्ष 1940 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में परिलक्षित किया जा सकता है। वर्तमान महामारी संकट के समान है जो विश्व मामलों में विवर्तनिक बदलाव का कारण बन सकती है।[3,4]

इसके अलावा वैश्विक मुद्दों को देखते हुए आज विश्व को पहले से कहीं अधिक बहुपक्षवाद की आवश्यकता है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में सुधार करना आवश्यक है। इस संदर्भ में भारत को अपनी प्रणाली में बहुत आवश्यक सुधार लाने के लिये UNSC के अपने गैर-स्थायी सदस्य के अगले दो वर्षों का उपयोग करना चाहिये।

यूएनएससी को 10 सितंबर को लीबिया के बारे में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत जन कुबिस (स्लोवाकिया के) ने जानकारी दी थी। उन्होंने 24 दिसंबर 2021 को लीबिया में प्रस्तावित चुनाव कराने के महत्व पर प्रकाश डाला, क्योंकि इस तारीख की कोई भी विचलन "विभाजन और संघर्ष" को मजबूत करेगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के इस आकलन का समर्थन किया और कहा कि चुनाव एक सहमत संवैधानिक और कानूनी आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। इससे लीबिया की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखा जा सकेगा। भारत ने संघर्ष विराम समझौते और लगातार सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के प्रावधानों का सम्मान करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से विदेशी ताकतों और भाड़े के आतंकवादियों की वापसी से संबंधित जिनकी लीबिया में निरंतर उपस्थिति (आईएसआईएल की गतिविधियों के साथ) गंभीर चिंता का विषय थी। भारत ने कहा

कि लीबिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन को लीबिया को निरस्तीकरण, विमोचन और सशस्त्र समूहों और गैर-राष्ट्र सशस्त्र कारकों के पुनर्संमेकन में सहायता प्रदान करनी चाहिए। यूएनएससी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव 2595 पारित कर 30 सितंबर 2021 तक यूएनएसएमआईएल को "एकीकृत विशेष राजनीतिक मिशन" के रूप में दिया। बाद में, यूएनएससी ने 30 सितंबर को प्रस्ताव 2599 पारित किया, जिसमें 31 जनवरी 2022 तक यूएनएसएमआईएलके शासनादेश का विस्तार किया गया।[5,6]

वोल्कर पर्थस (जर्मनी के), सूडान में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत संक्रमणकालीन सहायता मिशन के प्रमुख ने 14 सितंबर को यूएनएससी को पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर के तख्तापलट में अपदस्थ किए जाने के दो वर्ष बाद लोकतंत्र की बहाली की जानकारी दी थी। संयुक्त राष्ट्र ने अपने लोकतांत्रिक परिवर्तन में की गई वृद्धिशील राजनीतिक प्रगति को बनाए रखने के लिए सूडान के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्पण की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत ने पिछले तीन महीनों में सूडानी अधिकारियों द्वारा प्रांतों की नियुक्ति और सशस्त्र समूहों के साथ बातचीत सहित की गई प्रगति का स्वागत किया और शांति निर्माण और प्रगति में महिलाओं को पूरी तरह से शामिल करके समावेशी बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित किया। सूडान की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों की प्रतिक्रिया सूडान के अत्यधिक ऋणी गरीब देशों पहल का हिस्सा बनने के फैसले से सुगम होगी, जो सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के लिए ऋण राहत और धन को सुकर करेगा। डार्फुर में अस्थिरता पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (यूएनएमआईडी) के पूर्व ड्राडाउन और संक्रमणकालीन अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध के साथ यूनाथमों का पूर्ण परिचालन सूडान के सफल राजनीतिक संक्रमण में एक निर्धारित कारक होगा।

संयुक्त राष्ट्र के दूत निकोलस हयासोम (दक्षिण अफ्रीका के) ने 15 सितंबर को यूएनएससी को दक्षिण सूडान में सितंबर 2018 के "ऐतिहासिक" रिवाइज्ड पीस एग्रीमेंट के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी थी। मुख्य विकास अगस्त 2021 में नई संसद का उद्घाटन और कामकाज था। देश लगातार बड़ी मानवीय और आर्थिक चुनौतियों का सामना करता रहा। भारत ने संशोधित समझौता को लागू करने का स्वागत किया, जिसमें संसद की पहली महिला स्पीकर की नियुक्ति और नई राजनीतिक नियुक्तियां सकारात्मक संकेत हैं। भारत ने संक्रमणकालीन सरकार और दक्षिण सूडान विपक्षी आंदोलनों एलायंस के बीच सुलह प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने शिविरों में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपीएस) को सुरक्षा प्रदान करने में संक्रमणकालीन सरकार और अनमिस के बीच निरंतर सहयोग की सराहना की, जो अब सरकार के संप्रभु नियंत्रण में थे। अनमिस में भारतीय सेना का दल कंप्यूटर प्रशिक्षण और पशु चिकित्सा सहायता शिविरों के माध्यम से दक्षिण सूडान के लोगों के सतत विकास और कल्याण में भी योगदान दे रहा था। जोंगलेर्इ राज्य और प्रेटर पिबोर प्रशासनिक क्षेत्र में अनमिस के हिस्से के रूप में सेवारत 135 भारतीय संयुक्त राष्ट्र सैनिकों के उत्कृष्ट कार्य को एक पदक समारोह में मान्यता दी गई थी, जबकि दो भारतीय संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों (कॉर्पोरल युवराज सिंह और श्री इवान माइकल

पिकार्डों) को श्रद्धांजलि दी गई थी, जिन्हें मरणोपरांत उनके साहस और कर्तव्य की रेखा में बलिदान के लिए इस वर्ष प्रतिष्ठित डाग हम्मारस्केजल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था।[7,8]

यूएनएससी ने 15 सितंबर को ग्रैंड इथोपियाई पुनर्जागरण बांध (जीईआरडी) पर बैठक आयोजित की थी। बैठक के बाद आयरलैंड द्वारा सर्वसम्मति से जारी राष्ट्रपति के बयान में, परिषद ने मिस्र, इथियोपिया और सूडान को इस परियोजना पर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के निमंत्रण पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि बांध को भरने और संचालन पर "पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते" के पाठ को अंतिम रूप दिया जा सके। भारत ने अपने विचार को अभिकर्षक रखा कि सीमा पार पानी के मुद्दों से संबंधित मामलों पर कोई भी चर्चा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। भारत ने प्रासंगिक तकनीकी रूप से योग्य संस्थानों द्वारा द्विपक्षीय रूप से आयोजित विशेषज्ञों के बीच बातचीत का सुझाव दिया ताकि संबंधित मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य, दीर्घकालिक समाधान तक पहुंचा जा सके।

संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद द्वारा सोमालिया पर 28 सितंबर को यूएनएससी को दी गई ब्रीफिंग का फोकस आगामी राष्ट्रीय चुनावों में महिलाओं के लिए सीटों का 30 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित करने पर था। भारत ने कहा कि 17 सितंबर 2021 और 27 मई 2021 के समझौतों के मुताबिक सोमालिया के लिए चुनाव आयोजित करना और नई सरकार का गठन सर्वोच्च प्राथमिकता थी। भारत ने शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए सोमाली समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को शामिल करने के उपायों का समर्थन किया। इसके साथ ही भारत ने परिषद को आगाह किया कि वह आगामी चुनावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अल शबाब से सोमालिया को दी जा रही आतंकवादी खतरे की दृष्टि से ओझल न हो।

आयरलैंड ने 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर चर्चा की मेजबानी की गई थी। आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति मैरी रॉबिंसन और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अवर महासचिव लखदर ब्राह्मी ने यूएनएससी को इस विषय पर उनके दृष्टिकोण की जानकारी दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज संयुक्त राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, वे किसी भी एक सदस्य-राज्य के लिए अकेले संभालने के लिए बहुत बड़ी हैं, और इन चुनौतियों का उत्तर देने के लिए परिषद की कोई भी निष्क्रियता परिषद की जिम्मेदारी थी। यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में आयरलैंड ने अफगानिस्तान के मामले को लेकर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महिलाओं की विशेष भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत ने सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के ध्यान पर जोर दिया। पांच स्थायी सदस्यों को विशेष विशेषाधिकार देने की अपनी असमान निर्णय लेने की प्रक्रिया के कारण सुरक्षा परिषद की संरचनात्मक बाधा को यूएनएससी सुधार के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। अन्य नामित संयुक्त राष्ट्र निकायों के दायरे में आने वाले मुद्दे नहीं होने चाहिए।[9,10]

यूएनएससी ने आयरिश विदेश और रक्षा मंत्री साइमन वाले की अध्यक्षता में 8 सितंबर को अपनी बैठक में संघर्ष के बाद

शांतिनिर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर विचार किया। लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सिरलीफ, बुजुर्गों (प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के समूह) के एक सदस्य ने कहा कि शांति मिशन के मेजबान देश के लिए इस संक्रमण को बनाए रखने के लिए "जीवन के तरीके के रूप में शांति" को अपनाना आवश्यक था। उन्होंने उन बदलावों का आहान किया जो "राष्ट्रीय स्वामित्व वाली, एकीकृत, सुसंगत और टिकाऊ" हैं और अफ्रीकी देशों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रारंभिक संरचनात्मक सुधार के लिए, क्योंकि यूएनएससी के एजेंडे में 70 प्रतिशत संकट अफ्रीका से थे।

भारत की विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने जोर देकर कहा कि सफल बदलावों के लिए सभी हितधारकों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। शांति अभियानों को स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य अधिदेश दिए जाने चाहिए, जो पर्याप्त संसाधनों से मेल खाते हैं। संक्रमण पूरी तरह से एक मेजबान देश की संप्रभुता और प्राथमिकताओं का सम्मान करना चाहिए। इस संक्रमण का सबसे अच्छा हालिया उदाहरण सूडान में यूनिटम्स था। डिजिटल प्रौद्योगिकी संघर्ष के बाद शांति निर्माण, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार, शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने, लोकतंत्र की पहुंच बढ़ाने, मानवाधिकारों और लैगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इस बैठक के बाद यूएनएससी ने सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की तैनाती के बाद हुए बदलाव पर अपना पहला स्टैंड-अलोन संकल्प (२५९४) अपनाया, जिसमें चर्चाओं में सदस्यों (भारत सहित) द्वारा किए गए बिंदुओं को शामिल किया गया।[11,12]

विचार-विमर्श

संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने जनवरी 2017 में अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही संयुक्त राष्ट्र में सुधार का प्रस्ताव रखा था। अपने अधिदेश के प्रतिपादन में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन कर रहा है:

विकास: देशीय समूहों की नई पीढ़ी को देखते हुए 2030 की कार्यसूची हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली में साहसिक परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। ऐसे परिवर्तन रणनीतिक संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता संरचना पर केंद्रित हों और उनका नेतृत्व निष्पक्ष, स्वतंत्र और सशक्त स्थानीय समन्वयकों द्वारा किया जाए।

प्रबंधन: सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र के लिए एक नया प्रबंधन प्रतिमान जोकि प्रबंधकों और कर्मचारियों को सशक्त करे, प्रक्रियाओं को सरल बनाए, पारदर्शिता बढ़ाए और हमारे जनादेश के प्रतिपादन में सुधार करे।

शांति और सुरक्षा: सुधारों का व्यापक लक्ष्य निवारण को प्राथमिकता देना और शांति को स्थायित्व प्रदान करना; शांति एवं विशेष राजनैतिक अभियानों के प्रभाव और सुसंगति को बढ़ाना तथा एकल, एकीकृत शांति एवं सुरक्षा स्तंभ की दिशा की ओर बढ़ाना है। "सुधारों का लक्ष्य 21वीं शताब्दी का संयुक्त राष्ट्र है जोकि प्रक्रियाओं से अधिक व्यक्तियों तथा नौकरशाही से अधिक प्रतिपादन पर केंद्रित हो। सुधारों का वास्तविक परीक्षण तब होगा, जब उन लोगों के जीवन पर उसके ठोस परिणाम प्रदर्शित

होंगे जिनकी हम सेवा करते हैं- और उन लोगों के भरोसे से उसका आकलन किया जाएगा, जो हमारे कार्यों का समर्थन करते हैं।[13]

संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था है। 51 देशों के साथ अपने सफर की शुरुआत करने वाला संयुक्त राष्ट्र अब एक विशाल परिवार बन चुका है। इसमें आज 193 सदस्य हैं। लेकिन दबदबा हमेशा पांच सदस्यों का रहा है। इसके कारण अब विश्व निकाय में बड़े सुधार की जरूरत बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था है। 51 देशों के साथ अपने सफर की शुरुआत करने वाला संयुक्त राष्ट्र अब एक विशाल परिवार बन चुका है। इसमें आज 193 सदस्य हैं। लेकिन दबदबा हमेशा पांच सदस्यों का रहा है। इसके कारण अब विश्व निकाय में बड़े सुधार की जरूरत बताई जा रही है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ये पांच देश मिलकर सुरक्षा परिषद कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में इन्हीं देशों की तूती बोलती है। संयुक्त राष्ट्र की ताकत सुरक्षा परिषद में है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की असल ताकत वीटो शक्ति में है। किसी भी मुद्दे पर किसी एक सदस्य के वीटो का मतलब है बात आगे नहीं बढ़ेगी।

यूएनएससी ने 23 सितंबर को जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा के बीच संबंधों पर आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल मार्टिन की अध्यक्षता में बहस का आयोजन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और परिषद के कई निर्वाचित सदस्यों ने महसूस किया कि यूएनएससी को मानव सुरक्षा पर प्रभाव की जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रतिकार करने के लिए कार्रवाई करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। भारत, रूस और चीन ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के संबंधित तंत्रों में जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित चर्चा चल रही है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि यूएनएससी में जलवायु सुरक्षा को संबोधित करना वांछनीय नहीं है, क्योंकि यह समानांतर जलवायु ट्रैक का निर्माण कर सकता है।[10,11]

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूएनएससी ने 27 सितंबर को एक बहस का आयोजन किया। यह बताया गया कि सीटीबीटी का लगभग सार्वभौमिक पालन एक वैश्विक उद्देश्य था। हालांकि, संधि के लागू होने के लिए संधि के अनुबंध 2 में सूचीबद्ध सभी 44 "परमाणु सक्षम" राज्यों को इस पर हस्ताक्षर करने और इसकी पुष्टि करनी थी। चीन, मिस्र, ईरान, इजराइल और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे लेकिन संधि की पुष्टि नहीं की थी। इसके अलावा, उत्तर कोरिया, भारत और पाकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला ने कहा कि भारत पहला देश था जिसने 1954 में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने और परमाणु हथियारों के अप्रसार पर भेदभाव रहित संधि के लिए 1965 में गैर-प्रसार से अलग होने का आह्वान किया था। भारत परमाणु हथियारों की स्वतंत्र दुनिया के लक्ष्य और परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था, जिसे सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और एक सहमत वैश्विक और भेदभावरहित बहुपक्षीय ढांचे द्वारा रेखांकित कदम-दर-कदम प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया जाएगा। भारत ने परमाणु विस्फोटक परीक्षण पर स्वैच्छिक, एकतरफा रोक लगा रखी थी। भारत ने परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन प्रक्रिया में भाग लेने और आईएर्इए द्वारा परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों सहित

वैश्विक परमाणु सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सक्रिय रूप से समर्थन और योगदान दिया। भारत परमाणु सुरक्षा संपर्क समूह का सदस्य था और विभिन्न निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं का सदस्य था, नामतः ऑस्ट्रेलिया समूह, वासेनार व्यवस्था और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। भारत के नियंत्रणों को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सूचियों के साथ सामंजस्य बनाया गया था।

यूएनएससी में सितंबर 2021 के दौरान भारत की भागीदारी ने परिषद को राजनीतिक परिवर्तन मिशनों को अनिवार्य करके अपने एजेंडे में संकटों का प्रतिकार करने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखा, जिसमें महिलाओं द्वारा प्रतिनिधित्व सहित समावेशी सरकार के लिए चुनाव पर जोर दिया गया और सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। आने वाले हफ्तों के दौरान भारत को अफगानिस्तान के तालिबान अधिग्रहण के बाद यूएनएससी के लिए परिषद के जनादेश में इस टेम्पलेट को एकीकृत करने के लिए बातचीत करनी होगी।[9,10]

ऐसा करने की भारत की क्षमता वीटो वाले पांच स्थायी सदस्यों के समर्थन पर निर्भर करेगी। यह बाधा संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्तमान अंतर-सरकारी वार्ताओं के माध्यम से "सुधार बहुपक्षीयता" के हिस्से के रूप में यूएनएससी को फिर से तैयार करने के भारत के निरंतर प्रयासों के संदर्भ प्रदान करती है। न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान में संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रतिनिधिमंडलों को संयुक्त राष्ट्र में निर्देश दिया गया था कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए एक मसौदा संकल्प के आधार के रूप में एक एकल समेकित पाठ विकसित करें। इस बड़े उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण मार्कर है।

परिणाम

संयुक्त राष्ट्र के इस सालाना आयोजन में हर सदस्य देश को अपनी बात कहने के लिए 15 मिनट मिलते हैं। इसमें चर्चा होती है कि दुनिया को बेहतर कैसे बनाया जाए, आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख महासचिव होता है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क के प्लसिंग मोडेज में स्थित है। इसके अलावा इसके मुख्य दफ्तर जिनेवा, नैरोबी और वियना में भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ को वित्तीय मदद इसके सदस्यों देशों से मिलती है। इसके गृहन के समय अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध का माहौल था उस समय दुनिया में शांति बनाए रखना काफी मुश्किल था। संयुक्त राष्ट्र संघ के छह प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इनमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों पर 9 सितंबर को यूएनएससीआर 2594 शामिल थे; लीबिया पर 15 सितंबर को यूएनएससीआर 2595; अफगानिस्तान पर 17 सितंबर को यूएनएससीआर 2596; यूएनएससीआर 2597 17 सितंबर को एक वर्ष तक का विस्तार संयुक्त राष्ट्र की टीम के जनादेश आईएसआईएल (यूएनआईटीएडी) द्वारा अपराधों की जांच; अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव पर 29 सितंबर को यूएनएससीआर 2598; और लीबिया पर 30 सितंबर को यूएनएससीआर 2599 शामिल थे।[8,9]

आयरलैंड ने अफ्रीका में यूएनएससी के एजेंडे मद शांति और सुरक्षा के अंतर्गत ग्रैड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध परियोजना

पर 18 सितंबर को राष्ट्रपति का वक्तव्य जारी किया। यूएनएससी ने चार प्रेस वक्तव्य जारी किए। ये संयुक्त राज्य अमेरिका (9 सितंबर) पर 9/11 आतंकी हमलों की 20वीं वर्षगांठ; सोमालिया (18 सितंबर) की स्थिति पर; सूडान पर (22 सितंबर); और लेबनान (27 सितंबर) पर थे। यूएनएससी कासितंबर के दौरान अफगानिस्तान पर फोकस यूएनएससी के प्रस्ताव 2593 के सिद्धांतों को 30 अगस्त 2021 के अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) के जनादेश में एकीकृत करने पर था। इन सिद्धांतों में अफगानिस्तान के सामाजिक-आर्थिक विकास में पिछले दो दशकों में प्राप्तियों पर एक समावेशी राजनीतिक समाधान और निर्माण की आवश्यकता शामिल है, जिसमें अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को कायम रखना शामिल है।

आयरलैंड ने यूएनएससी का अध्यक्ष पद संभालने पर 1 सितंबर को अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि तालिबान को उनके शब्दों के बजाय उनके कार्यों से आंकने की आवश्यकता है, विशेषकर नई सरकार में महिलाओं की भागीदारी पर। यूएनएससी ने 9 सितंबर को यूएनएएमए डेबोरा लायन्स (कनाडा के) के प्रमुख द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद यूएनएएमए के जनादेश के नवीकरण पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने कहा कि काबुल में अनंतिम सरकार में 33 नामों में से प्रधानमंत्री, दो उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अंतर्गत हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि परिषद को स्पष्ट राजनीतिक बाधाओं के बावजूद अफगानिस्तान के सामने भारी मानवीय और आर्थिक संकट पैदा हो गया था।

भारत ने यूएनएएमए के समीक्षा किए गए जनादेश के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र के लिए एक केंद्रीय भूमिका का समर्थन किया। अफगानिस्तान के एक प्रमुख विकास साझेदार के रूप में भारत ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से प्रत्येक में 500 से अधिक विकास परियोजनाएं शुरू की थीं। पिछले वर्ष भारत ने अफगानिस्तान (ईरान के बंदरगाह चाबहार के माध्यम से) को मानवीय सहायता के रूप में 75,000 मीट्रिक टन गेहूं दिया था। भारत ने संकल्प 1217 के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों सहित आतंकवाद के लिए अफगान भूमि के प्रयोग की अनुमति नहीं देने की तालिबान की प्रतिबद्धता को नोट किया और जोर देकर कहा कि अफगान क्षेत्र का प्रयोग किसी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने या प्रशिक्षित करने या आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाने या वित्तपोषित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने अफगान महिलाओं की आवाज सुनने, अफगान बच्चों की आकांक्षाओं को साकार करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता दोहराई। भारत ने एक समावेशी नेगोट के माध्यम से प्राप्त एक व्यापक आधारित, समावेशी और प्रतिनिधि गठन का समर्थन किया जिसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और यथार्थता स्वीकार होगी। यूएनएससी ने 17 सितंबर को सर्वसम्मति से 17 मार्च 2022 तक 6 महीने के लिए यूएनएएमए के मौजूदा जनादेश पर प्रस्ताव 2596 रोलिंग को अपनाया (जब संयुक्त अरब अमीरात यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा)। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासंचिव से कहा गया है कि वे मार्च 2022 में अपना वर्तमान जनादेश समाप्त होने पर परिषद द्वारा विचार के लिए यूएनएएमए के जनादेश की प्रकृति पर 31

जनवरी 2022 तक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। [7,8] यूएनएससी ने सीरिया पर रासायनिक हथियारों के कथित प्रयोग, मानवीय संकट और सीरियाई संघर्ष के राजनीतिक समाधान की संभावनाओं से संबंधित अलग बैठकें आयोजित करने की अपनी परिपाटी जारी रखी। 2 सितंबर को हुई बैठक में अक्टूबर 2021 में सीरियाई राष्ट्रीय प्राधिकरण और रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन की घोषणाओं के आकलन दल के बीच आगामी बैठक पर परिषद को अद्यतित किया गया था। भारत ने इस विकास का स्वागत किया और रासायनिक हथियार सम्मेलन के लिए अपना समर्थन दोहराया। इसमें परिषद से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सीरिया में राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीरिया में कोई रासायनिक हथियार आतंकवादियों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। 15 सितंबर को परिषद ने मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता में 13 मिलियन से अधिक सीरियाई लोगों की दुर्दशा को देखा। भारत ने इस बात को रेखांकित किया कि जटिल जल संकट से यह स्थिति और बढ़ गई है और मानवीय संकट का कोई भी समाधान राजनीतिक समाधान पर निर्भर करता है। दमिश्क से एलेप्पो को सहायता प्रदान करने के पहले क्रॉसलाइन वितरण का स्वागत करते हुए भारत ने मानवीय सहायता के सुचारू और कुशल वितरण को सक्षम बनाने के लिए सीरियाई सरकार के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने 28 सितंबर को सीरिया संकट के राजनीतिक समाधान को सुगम बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गीर पेडरसेन (नॉर्वे के) के चल रहे कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन किया। आशावाद के लिए दो घटनाक्रम फरवरी 2021 से दमिश्क के लिए विशेष दूत की पहली यात्रा और सीरिया और रूसी परिसंघ के बीच उच्च स्तरीय व्यस्तताएं थीं। भारत को लगा कि सीरिया में राजनीतिक समाधान के लिए बड़ी बाधा बाह्य ताकतों का प्रभाव बनी रही, जिसने सीरिया और क्षेत्र दोनों में आतंकवाद के विकास को प्रेरित किया।

यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के नवनियुक्त दूत हंस ग्रुंडर्ग (स्वीडन के) ने यूएनएससी को 10 सितंबर को यमन में सात वर्ष के संघर्ष की जानकारी दी। उन्होंने यमन के मारिब गर्वनेट पर अंसार अल्लाह (जिसे हाउइस के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा निरंतर आक्रामक होने के बाद 2020 के बाद से संघर्ष के प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिससे मानवीय स्थिति काफी खराब हो गई थी। उन्होंने आने वाले हफ्तों के दौरान संघर्ष में सभी हितधारकों के साथ जुड़ने का प्रस्ताव रखा। भारत ने विशेष दूत की पहल का समर्थन किया। इसमें निर्णय लेने में महिलाओं की सार्थक भागीदारी सहित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए सऊदी अरब द्वारा सुगम वार्ता को देखा गया, जिससे शांति निर्माण की प्रभावशीलता को काफी मजबूत और गहरा किया जा सकेगा और यमन में स्थिरता विकसित होगी। हाल ही अभा हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल हुए आठ नागरिकों में तीन भारतीय शामिल थे। भारत ने संकल्प 2216 में परिकल्पित हथियार प्रतिबंध और भविष्य में ऐसे हमलों को खत्म करने के लिए इसकी प्रभावी निगरानी को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया। इसमें कहा गया कि परिषद को हुदैदा समझौते को लागू करने की दिशा में जनरल अभिजीत गुहा (भारत के) के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमएचए) के प्रयासों का समर्थन जारी रखना चाहिए। फिलिस्तीन प्रश्न पर 29 सितंबर को आयोजित

यूएनएससी की नियमित बैठक में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत टॉर वेनेसलैंड (नॉर्वे के) से इस मुद्दे को हल करने के लिए राजनीतिक ढांचा तैयार करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता पर एक ब्रीफिंग सुनी गई। भारत ने सभी संबंधित पक्षों की वैध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इजराइल के साथ शांति के साथ-साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले फिलिस्तीन के संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना के लिए बातचीत किए गए दो राज्यों के समाधान का पुरजोर समर्थन किया। यह महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत ढांचे के आधार पर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच सीधी शांति वार्ता दो राज्यों के समाधान के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इसराइल, फिलिस्तीन और प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के बीच हाल ही में हुई उच्चस्तरीय बातचीत ने इसाइल और फिलिस्तीन के बीच सीधी बातचीत की बहाली के लिए अवसर प्रदान किया। यूएनएससी के प्रस्ताव 2334 में दो राज्यों के समाधान को आगे बढ़ाने के लिए शांति वार्ता के लिए स्थितियां बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व चौकड़ी के तत्वावधान में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को डी-एस्केलेशन की दिशा में और इन सीधी वार्ताओं को फिर से शुरू करने के लिए मूल्यवान बनाया। [6,7]

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका गठन अंतरराष्ट्रीय शांति, देशों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया था। लेकिन अब यह प्रासंगिकता खोता नज़र आ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रतीत होने वाले कई क्षेत्रीय संगठन जैसे ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन, सार्क, अपेक, आसियान व जी-7 अस्तित्व में आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्यों की आपसी खीचतान की वजह से कई संवेदनशील मुद्दों का समाधान खोजने में नाकाम रहा है। अभी तो यह सदस्य राष्ट्रों के लिए विरोधी राष्ट्रों को धमकाने का मंच बनता जा रहा है। अमेरिका कभी रूस, कभी ईरान तो कभी दक्षिण कोरिया को धमकाता है। वही भारत व पाकिस्तान भी एक दूसरे को आंखें दिखाने का अवसर यहीं पाते हैं। संगठन पर शुरू से ही वीटो अधिकार प्राप्त पांच देशों का वर्चस्व रहा है। ये देश ही पूरे विश्व के स्वघोषित प्रतिनिधि के रूप में अपनी राय थोपते नज़र आते हैं। कई बार तो ये संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों को धंता बताते हुए मनमानी करते देखें गए हैं। हाल में अपने मित्र इजरायल के हितों पर कथित कुठाराघात के नाम पर अमेरिका ने यूनेस्को छोड़ने की घोषणा कर दी, क्योंकि यूनेस्को को चलाने के लिए आवश्यक अधिकांश धन अमेरिका देता रहा है। [5,6]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने की मांग भी बहुत पुरानी है। इसमें स्थायी सदस्यता के दावेदार राष्ट्रों ने जी-4 समूह भी बना रखा है। परंतु वर्तमान स्थायी सदस्य अपने विशेषाधिकार साझा करने के लिए सहमत नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र के सामने सीमित वैश्विक अधिकार, आर्थिक मानव संसाधनों की कमी तथा अस्पष्ट चार्टर जैसी बाधाएं हैं। सुधारों के प्रति लापरवाही बरतने पर उभरती हुई वैश्विक ताकतों द्वारा उपेक्षित होने अथवा छोड़

दिए जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वर्तमान भू राजनीतिक परिवेश में संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन अति आवश्यक है ताकि दीर्घकालीन वैश्विक शांति की अपेक्षा की जा सके। [10]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के निवाचित सदस्य के रूप में अपने आठवें दो वर्ष के कार्यकाल में भारत के साथ, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अशोक कुमार मुखर्जी द्वारा 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में भारत: मासिक संक्षिप्त' की आईसीडब्ल्यूए श्रृंखला में नौवां विश्लेषण किया गया है।

आयरलैंड ने सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। इसने महीने के दौरान चार हस्ताक्षर कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (7 सितंबर), शांति परिवर्तन पर खुली बहस (8 सितंबर), जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा पर खुली बहस (23 सितंबर) और सामूहिक विनाश के हथियारों का अप्रसार (27 सितंबर) पर एक ब्रीफिंग पर चर्चा हुई। भारत ने इन सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। [13]

संदर्भ

- [1] UN News Centre (२०१५). "UN News - Compelling moments from 2015, told by UN human rights experts". मूल से 15 अगस्त 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १० दिसम्बर २०१५.
- [2] यूएनएफसीसीसी (२०१५). "Draft Paris Outcome" (PDF). मूल से 10 दिसंबर 2015 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि १० दिसम्बर २०१५.
- [3] "प्रश्न सं.1028 संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी". मूल से 28 जनवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 जून 2020.
- [4] [प्रत कड़ियाँ]
- [5] "अटल जी के बाद सुषमा का यादगारी भाषण". मूल से 28 जनवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 जनवरी 2018.
- [6] यूएन न्यूज़ सेंटर (२०१५). "On Anti-Corruption Day, UN says ending 'corrosive' crime can boost". मूल से 11 दिसंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १० दिसम्बर २०१५.
- [7] संयुक्त राष्ट्र - एक परिचय Archived 2014-01-16 at the Wayback Machine | बीबीसी-हिन्दी
- [8] चीन से तनाव के बीच आठवीं बार भारत बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य
- [9] Greene, David L. (14 February 2003). "Bush implores U.N. to show 'backbone'". The Baltimore Sun. मूल से 12 January 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 January 2014.
- [10] Singh, Jasvir (2008). Problem of Ethicity: Role of United Nations in Kosovo Crisis. Unistar

- Books. पृ० 150. आई०एस०बी०एन० 9788171427017. मूल से 16 November 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 January 2014.
- [11] Normand, Roger; Zaidi, Sarah (13 February 2003). Human Rights at the UN: The Political History of Universal Justice. Indiana University Press. पृ० 455. आई०एस०बी०एन० 978-0253000118. मूल से 16 November 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 January 2014.
- [12] "UN failed to prevent 'ethnic slaughter in Sri Lanka' – Barack Obama". Tamil Guardian. 22 November 2020. अभिगमन तिथि 25 November 2020.
- [13] "Obama's best seller refers to 'ethnic slaughter in SL'". The Sunday Times (Sri Lanka). 29 November 2020. अभिगमन तिथि 29 November 2020.

